न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)—जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 66 / 2013
3. उनवान : राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर ।

बनाम

गोरु पुत्र मन्ना जाति अहीर निवासी पचार, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 24.04.2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी तहसीलदार जयपुर हाल तहसील कालवाड द्वारा न्यायालय के समक्ष ग्राम पचार के खसरा नंबर 1105 / 1503 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जो कि डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536 / 03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में मा0 उच्च न्यायालय के दिनांक 02 / 08 / 2004 के बिन्दु संख्या 4 में वर्णित झील, तालाब, जलाशय, नदी व नाले की भूमि है, जो याचिका के बिन्दु संख्या 1 व 4 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 व 88 के अन्तर्गत रेफरेंस प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पचार के खसरा नंबर 1105 रकबा 244 बीघा 7 बिस्वा की भूमि मिसल बंदोबस्त 2015–2034 के अनुसार राजकीय खाते में कॉलम नं0 5 के अनुसार सिवायचक बिना लगानी गै.मु. नदी दर्ज थी। जिसे कालांतर में गैर खातेदारी नामान्तकरण संख्या 440 दिनांक 14.11.1977, नामान्तकरण संख्या 894 दिनांक 14.05.1993 के द्वारा आवंटन से खातेदारी दर्ज हुयी है। उक्त आराजी नामान्तकरण संख्या 440 दिनांक 14.11.1977 से गोरु पुत्र मन्ना जाति अहीर निवासी पचार के नाम दर्ज हुई, जो नदी की भूमि जो परम्परागत पानी बहाव क्षेत्र में होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित है एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत होने पर खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं है।

अन्त में प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को स्वीकार फरमाकर वर्णित भूमि को राजकीय घोषित करते हुए किस्म भूमि पूर्वानुसार किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र के संलग्न खतौनी जमाबंदी संवत 2015 से 2034, 2059 से 2062 तथा नामान्तकरण संख्या 847 दिनांक 16.12.1989 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस अप्रार्थी जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा यू0टी0 दी गई किन्तु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी बावजूद सूचना असालतन / वकालतन अनुपस्थित रहे हैं, जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पैरोकार सरकार की बहस एकपक्षीय सुनी गयी।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पचार के खसरा नंबर 1105 रकबा 244 बीघा 7 बिस्वा की भूमि मिसल बंदोबस्त 2015–2034 के अनुसार राजकीय खाते में किस्म गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। उक्त भूमि आवंटन आदेश दिनांक 10 / 09 / 76 की पालना में नवीन खसरा नंबर 1105 / 1503 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी नामान्तरण संख्या 440 दिनांक 14.11.1977 से अप्रार्थी के नाम दर्ज हुई एवं नामान्तकरण संख्या 894 दिनांक 14.05.1993 के द्वारा आवंटन से खातेदारी दर्ज हुई। जबकि उक्त भूमि 2015–2034 के अनुसार राजकीय खाते में कॉलम नं0 5 के अनुसार सिवायचक बिना लगानी गै.मु. नदी दर्ज थी। उक्त भूमि मा0 उच्च न्यायालय के अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

02.08.2004 की पालना में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत भूमि को राजकीय घोषित करते हुए किस्म भूमि पूर्वानुसार किया जावे।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा पैरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र ग्राम पचार के खसरा नंबर 1105/1503 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के संबंध में विचाराधीन है। जमाबन्दी संवत 2015–34 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि राजकीय खाते में कॉलम नं0 5 के अनुसार सिवायचक बिना लगानी गै.मु. नदी दर्ज थी। अतः अब्दुल रहमान बनाम सरकार में मा0 उच्च न्यायालय के दिनांक 02/08/2004 की पालना में तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार उक्त भूमि किस्म गै0मु0 नदी सिवायचक होने के कारण आवंटन नियमन हेतु प्रतिबंधित है। उक्त भूमि को पूर्वानुसार गैर मुमकिन नदी सिवायचक राजकीय खाते में दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः तहसीलदार जयपुर हाल तहसीलदार कालवाड का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पचार के खसरा नंबर 1105/1503 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि की किस्म पूर्वानुसार गै0 मु0 नदी सिवायचक की जाकर राजकीय खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 24.04.2025 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर